डीजी-परिपत्र संख्या-29/2017

सुलखान सिंह

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरप्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः अगस्त 22, 2017

विषय : अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम 1956 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत है कि सामाजिक व्यवस्था को पराभव से बचाने तथा नैतिक मूल्यों के उत्कर्ष हेतु न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1950 के अनुसरण में भारतीय संसद द्वारा अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम 1956(यथा संशोधित 1986) अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरूपयोग निवारित करना है। ऐसे सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए जिससे अनैतिक व्यापार को पूर्णतयः प्रतिबन्धित किया जा सके एवं अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य दण्ड विधियों में वर्णित उपबन्धों को भी समावेशित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि दोषियों को दीर्घतम दण्ड से दण्डित कराया जा सके।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में उक्त अधिनियम में वर्णित अपराधों के घटित होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है जिसे शीघ्र निवारित करने तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु निम्नांकित बिन्दु श्रेयस्कर होगें :-

- अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के अतिरिक्त भादवि या अन्य केन्द्रीय या प्रादेशिक दण्ड विधियों में परिभाषित दण्डनीय अपराधों से आच्छादित पाये जाने पर उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाये।
- प्रायः अवयस्क/नाबालिक महिलाओं के देह व्यापार, खरीद-फरोख्त या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में विभिन्न व्यक्ति संलिप्त होतें हैं, जो एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं उनके विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाये।
- अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से धनार्जन करने वाले व्यक्तियों के आय के श्रोतों के बारे में समुचित छानबीन कर गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत अवैध सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाये।
- प्रायः दूरदराज या अन्य प्रदेशों/देशों से नाबालिक बच्चियों को लाकर उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करते हुए बलात्कार किया जाता है और फिर उन्हे वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में लगा दिया जाता है। ऐसे प्रकरण में पुष्टि होने की दशा में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं का आप स्वयं अपने नेतृत्व में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करायें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत कर इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।